न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/01/2022	2022/2	04–01–2022	10–03–2022

1–धप्पो देवी पत्नी श्री सुलतान जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
2– अमर सिंह पुत्र श्री सुलतान जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
3–रामसिंह पुत्र श्री सुलतान जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
4–खोमोश देवी पुत्री श्री सुलतान जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
5–प्रेम देवी श्री सुलतान जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
6–गीता देवी श्री सुलतान जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
7–लीला पुत्र बोदन जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।
8–नाथा उर्फ काना पुत्र बोदन जाति माली निवासी ग्राम ढाणी नोन्दावाली तहसील रामगढ तहसील बानसूर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–ताराचन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर।
2–निहाली पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर।
3–संजना पत्नी श्री संतोष जाति माली निवासी बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर।
4–लैण्ड होल्डर तहसीलदार बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर।

–रेस्पाडेन्टान्

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर निर्णय दिनांक 07–12–2021 आराजी खसरा न0 1078 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम बानसूर रेस्पोडेन्ट संख्या 1–3 के पक्ष में विभाजन बाबत।

उपस्थित:–

01. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अपीलान्ट्स
02 श्री पंकज गोयल –वकील रेस्पो0 संख्या 1, 2
03 श्री राजेश कुमार शर्मा –वकील रेस्पो0 संख्या 3
04 राजकीय अभिभाषक –वकील रेस्पो0 संख्या 4

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 07—12—2021 जिसके द्वारा आराजी खसरा न0 1078 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम बानसूर रेस्पोडेन्ट संख्या 1—3 के पक्ष में विभाजन के आदेश पारित किये गये है, के विरूद्व व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 1078 रकबा 1.47 है0 वाके ग्राम बानसूर तहसील बानसूर के विभाजन के आदेश रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित किया गया है। विवादित आराजी में अपीलान्ट्स का 1/6 हिस्सा है। विवादित आराजी की बाबत न्यायालय भू0 प्रबंध विभाग अलवर ने गलत इन्द्राज कर दिया जिसे दुरूस्त कराने हेतु न्यायालय मे प्रकरण लम्बित है। रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 3 ने कुल आराजी को अपनी बताकर गलत तौर पर तकासमा कराया है, विवादित आराजी में अपीलान्ट का हिस्सा जिस स्थिति में उक्त आदेश से अपीलान्ट्स के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित हुये है। अपीलान्ट्स तहत अदालत में पक्षकार नही थे, किन्तु अपीलान्ट्स व्यथित पक्षकार है। विवादित आराजी खसरा न0 1078 का साबिक खसरा न0 844 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा था, उससे पूर्व ख0 न0 279 था। विवादित आराजी पक्षकारान की शामलाती की आराजी है, विवादित आराजी का मूल खातेदार रामसहाय था, जिसके 6 पुत्र भौरा, खीमला, बदरी, सूरजा, बसन्ता व बोदा उर्फ बोदन थे। भौरा के मरने के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल उक्त सभी पुत्रो के नाम स्वीकार हों गया तथा जमाबन्दी में इन्द्राज आ गया। सम्वत् 2021 में हुये सैटलमैन्ट में बन्दोंबस्त कर्मचारियो ने कुल आराजी सूरजा व बसन्ता के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी में सूरजा व बसन्ता के अलावा भौरा, खीमला, बदरी व बोदा उर्फ बोदन का भी हिस्सा था, अपीलान्ट्स बोदा के वारीसान है। गलत इन्द्राज के आधार पर सूरजा के मरने के बाद उसके वारिसान ने गलत तौर पर रैस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में रीलीज डीड व बयनामें करा दिये व रैस्पो0 1 के द्वारा गलत तौर पर बयनामें कर दिये, जिस बाबत अपीलान्ट्स ने सक्षम न्यायालय मे वाद दायर कर रखे है। जिन सभी में रैस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 पक्षकार है, तथा उन्हें न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो की पूरी जानकारी है। इसके बावजूद रैस्पो0 ने विवादित आराजी को स्वंय की बताकर गलत तौर पर तकासमा कराया है। विवादित आराजी में अपीलान्ट्स का 1/6 हिस्सा है, तहत अदालत ने बटवारा केवल रैस्पो0 के मध्य किया है, कानूनन न्याय संगत नहीं है। रैस्पो0 ने गलत तथ्य दर्ज करते हुये विभाजन कराया है। पटवारी हल्का को पक्षकारान् के मध्य न्यायालयो में चल रहे प्रकरणों की पूरी जानकारी थी, किन्तु तथ्यो को छिपाते हुये गलत रिपोर्ट पेश की है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट्स को बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण तहत अदालत का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रमाणित फोटोप्रति

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)

विद्वान वकील रैस्पो0 ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि अपील में वर्णित आराजी रैस्पो0 की विरासत की आराजी है, जिसका उपयोग लम्बें समय से किया जा रहा है। रेस्पो0 उक्त आराजी पर किसी भी न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश से पाबन्द नहीं है। रैस्पो0 खातेदार काश्तकार है तथा अपीलान्ट्स को कोई खातेदारी अधिकार उक्त आराजी पर नहीं है तथा रैस्पो0 का बदस्तूर कब्जा चला आ रहा है। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश दिनाक 07.12.2021 कानूनी सही व मौके की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनाक 07.12.2021 के विरूद्व न्यायालय हाजा में दिनाक 04.01.2022 को प्रस्तुत की है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है। अपील अपीलान्ट्स ने मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी में अपीलान्ट्स का 1/6 हिस्सा है तथा विवादित आराजी पर न्यायालय भू0 प्रबंध विभाग ने गलत इन्द्राज कर दिया जिसे दुरूस्त कराने हेतु न्यायालयो में प्रकरण लम्बित है। रैस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 ने कुल आराजी को अपनी बताकर गलत तौर पर तकासमा कराया है।

अपील में तहत अदालत की पत्रावली तलब की गयी जिसका अवलोकन किया गया अवलोकन से जाहिर है कि खातेदारों द्वारा अपनी सहमति से विभाजन हेतु आवेदन किया गया है, जिसे तहत अदालत द्वारा विधिवत् तस्दीक किया गया है। किये गये विभाजन में उनके मध्य कोई विवाद नहीं है तथा उन्होनें आपस में कोई आक्षेप नहीं किया है तो उक्त विभाजन में न्यायालय हाजा द्वारा अवैध करार नहीं दिया जा सकता है तथा विवादित आराजी के संबंध में सक्षम न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारो के अधिकारो का विनिश्चय होना है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलान्ट्स खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है। अपीलाधीन तहसीलदार बानसूर का आदेश दिनांक 07.12.2021 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। साथ उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनाक 04.01.2022 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10–03–2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0 सुनित पंकज)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)